राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Criminal Appeal No. 1727/2019

Kashiram S/o Gangaram B/c Dhakar, R/o Village Kherabad, Tehsil Ramganjmandi, Distt. Kota Raj. (At Present Confined In Central Jail Kota)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अमित दाधीच।
लोक अभियोजक श्री रमेश चौधरी।

:: आदेश दिनांक :: 30.8.2019

न्यायालय द्वारा :

अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, कोटा द्वारा पुलिस थाना, रामगंजमण्डी, जिला कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–314/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.8.2019, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया गया है, से व्यथित

होकर जमानत का लाभ देने के लिये अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उनका यह भी कथन रहा कि आहत के शरीर पर ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है जो जीवन के लिए घातक हो। अपीलार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं आरोपों की प्रकृति एवं आहत के चोट प्रतिवेदन में कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं होने के क्रम में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी काशीराम की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, कोटा द्वारा फौजदारी जमानत आवेदन संख्या–148/2019 में पारित आदेश दिनांक 5.8.2019 अपास्त किया

जाता है और आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी पुलिस थाना, रामगंजमण्डी, जिला कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–314/2019 के मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा-125